न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 119/2011

सायल :- बनाम गै0सा0 :-

1. रामपाल पुत्र भाणुराम
जाति-बावरी, निवासी-काणेचा
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. जयकिशन पुत्र हापुराम
2. नैनाराम पुत्र हापुराम
3. आयचुकी पत्नी हापुराम
सभी जातियान-बावरी
निवासीगण-काणेचा
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
4. तहसीलदार जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः 25.07.2011

उपस्थितः- 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 01/07/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-काणेचा, तहसील-जैतारण में सायल व उसके मृतक भाई शेषाराम जो नाऔलाद फौत हो चुका हैं। उसकी पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया हैं, नाते चली गई कि गैरसायलान सामलाती खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा-काणेचा में खसरा नम्बर 392 रकबा 34-05 बीघा किस्म बा0दो0 एवं सरहद मौजा-बलून्दा में खसरा नम्बर 918 रकबा 8-11 बीघा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं। उपरोक्त आराजी में 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार सायल 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार गैरसायलान है, उपरोक्त भूमि में सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण कृषि भूमि खसरा नमबर 918 की जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2065 से 2068 तक की व नक्शा ट्रेस एवं सरहद मौजा-काणेचा, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 392 की जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 तक की जमाबन्दी खतौनी नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की है, जिसे वाद का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा-काणेचा में वाके खसरा नम्बर 392 की रकबा 34 बीघा 05 बिस्वा भूमि जिसमें सायल का 1/2 हिस्सा व गैरसायल का 1/2 हिस्सा उक्त भूमि मौके पर हिस्से अनुसार बंटी हुई है खेत के पश्चिम की तरफ 1/2 हिस्से की भूमि में जिसका नजरी नक्शा साथ पेश किया जा रहा है जिसे वाद का एक भाग माना जावे उक्त नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी भूमि गेरसायलान की है सायल की भूमि खसरा नम्बर 392 ए बिन्दु गैरसायल एक 1/2, 392/1 बी बिन्दु व उक्त भूमि में आने जाने का रास्त हरे रंग से सी. बिन्दु से दर्शाया गया हे व उसी अनुसार सायल अपने 1/2 हिस्से में काबिज है। अलग से काश्त करता है अलग से सायल उक्त भूमि के चारों कांटों की बाड़ की हुई है सायल का उक्त कृषि भूमि पर 25 वर्षो से अलग से कब्जा काश्त हैं। गैरसायल आसमानी रंग से दर्शाये

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गये नजरी नक्शे में काबिज व काश्त करते हैं। इसी प्रकार सरहद मौजा–बलून्दा में वाके कृषि भूमि 918 में नजरी नक्शे सायल के कब्जे काश्त की कृषि भूमि कृषि भूमि 918 बी बिन्दु से दर्शायी गई, सी बिन्दु सायल का रहवासी मकान बना हुआ हैं। सी बिन्दु देवताओं का थान बना हुआ है उक्त भूमि के चारों तरफ सायल की खन्दक लगाई हुई हैं, पानी टांका बना हुआ हैं। सायल ने अभी बाजरी व मूंग की फसल बोई हुई है व नजरी नक्शे में आसमानी रंग से 918/1 ए बिन्दु की भूमि गैरसायल का अलग से कब्जे काश्त की है व अलग अलग कब्जा काश्त है एंव 25 वर्षो से भूमि का बंटवाडा किया हुआ हैं, मगर खाता एक हैं, लगान सामलाती हैं। नक्शा ट्रेस में पूरी भूमि सामलाती है उक्त नजरी नक्शा साथ में पेश किया जा रहा है जिसे दावे का एक भाग माना जावें। सायल गैरसायल का सामलाती खाता होने से सामलाती लगान व नक्शा ट्रेस मौके पर बंटी अनुसार दर्ज नही होने से व सायल अकेला होना एंव गैरसायल संख्या व शक्ति में ज्यादा होने तथा सायल द्वारा गैरसायल को नियत खराब व सायल द्वारा गैरसायलान को नजरी नक्शे दर्शाये अनुसार मौके पर हुआ बंटवाडा अनुसार काणेचा कृषि भूमि खसरा नम्बर 392 व बलून्दा स्थित कृषि भूमि 918 मोका अनुसार बंटवाडा करने दिनांक 18/07/2011 को गैरसायलान को कहा, तो गैरसायलान ने ऐसा करने से मना कर दिया व दिनांक 18/07/2011 को सरहद मौजा–काणेचा स्थित खसरा नम्बर 392 में फसल बौने गया तो गैरसायलान सायल के साथ झगडा फसाद करने को आमादा हो गये सायल को फसल बोने से मना कर दिया गैरसायलान ने कहा कि हम तुम्हे फसल नही बोने देंगे,ऐसा गैरसायलान को सायल की 1/2 हिस्से में काश्त करने में रोकने गैरसायलान की ओर से झगडा कने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार नही है व सायल पूर्व में मौके पर बंटी हुई नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार सायल की 1/2 हिस्से की काणेचा की कृषि भूमि व सरहद मौजा बलून्दा में वाके कृषि भूमि 1/2 हिस्से में मौके पर हिस्सानुसार बंटवाडा कर पत्थर गढी करवाकर खाता अलग दर्ज करवाने व लगान का बंटवाडा कर नक्शा ट्रेस में बंटवाडा कर सायल के हिस्से का जरिये तरमीम करवाकर नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार बंटवाडा करवाने का सायल अधिकारी हैं, ऐसे बंटवाडा हेतु डिकि सायल खिलाफ गैरसायल प्राप्त करने का अधिकारी है। यह दावा सायल खिलाफ गैरसायल के पेश है। गैरसायल उपरोक्त पद में नजरे नक्शे में सायल के दर्शाये कब्जे काश्त कृषि भूमि किसी प्रकार से रोक टोक करने सायल को इस जमीन से बेदखल करने का गैरसायलन को कोई कानूनी अधिकार नही है। दिनांक 18/07/2011 को रोक टोक करने बेदखल कर ऐलानिया धमकी देना ऐसा करने का गैरसायलन को सायल हरगिज नही करने देगा,मौके पर लडाई फसाद होगी जिससे सायल को गैरसायल के खिलाफ बार बार दीवानी एंव फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी ऑफ प्रोसेडिंग होगी व सायल को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है। इसलिए सायल गैरसायल के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा का सायल खिलाफ गैरसायल का पेश किया है। सायल का मौके पर कब्जा काश्त है व जमाबन्दी एवं खतौनी एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार सायल का पक्ष बखुबी से साबित है यानि गैर सायल द्वारा सायल के कब्जे काश्त खातेदारी कृषि भूमि जो नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी भूमि में बेदखल करने ऐसा सायल हरगिज नही करने देगा,जिससे सायल को गैरसायल के विरुद्ध दीवानी एवं फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे जिससे सायल को असीम हानि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी कदर संभव नही है, गैरसायल की निती खराब है सायल को बेदखल करने पर आमादा हैं। सायल अपनी कृषि भूमि 1/2 हिस्से पर काबिज हैं। नजरी नक्शे अनुसार सुविधा संतुलन भी सायल के पक्ष में हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गय पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अट्‌ल सेवा केन्द्र–काणेचा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील गै0सा0 जबाब एवं वकालतनामा पेश करने का समय चाहते हैं। गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25/07/2011 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–काणेचा में खसरा नम्बर 392 रकबा 34–05 बीघा किस्म बा0दो0 एवं सरहद मौजा–बलून्दा में खसरा नम्बर 918 रकबा 8–11 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि में सायल के कब्जे की एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को न्यायालय हाजा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 25/07/2011 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अट्‌ल सेवा केन्द्र–काणेचा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)